

कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/2389/कले./वाचक/2015

बीजापुर, दिनांक 26/10/2015

:: प्रमाण पत्र ::

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर (छ0ग0) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-202 (नया क्रमांक 163) के भोपालपटनम से तारलागुड़ा आन्ध्रप्रदेश सीमा तक भोपालपटनम के ग्राम गोटाईगुड़ा, गोल्लागुड़ा, मरींगुड़ा, तिमेड़, रामपुरम, देपला, मेटलाचेरु, भद्राकाली, सीतानगरम एवं कोत्तूर तक बनाया जाना प्रस्तावित है, को 2- लेन मय पेव्हर सोल्डर सहित मार्ग का LWE योजनांतर्गत 2-लेन चौड़ीकरण किये जाने हेतु उपरोक्त सड़क के दोनों ओर के 300-300 मीटर के क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक/पुरातत्व महत्व के स्थल का प्रमाण पत्र चाहा गया है।

तहसीलदार भोपालपटनम के प्रतिवेदन एवं The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 में उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-202 (नया क्रमांक 163) के भोपालपटनम से तारलागुड़ा आन्ध्रप्रदेश सीमा तक तहसील के ग्राम गोटाईगुड़ा, गोल्लागुड़ा, मरींगुड़ा, तिमेड़, रामपुरम, देपला, मेटलाचेरु, भद्राकाली, सीतानगरम एवं कोत्तूर तक निर्माणाधीन LWE योजनांतर्गत 2-लेन चौड़ीकरण मार्ग के मध्य से दोनों ओर 300-300 मीटर दूरी पर कोई भी ऐतिहासिक/पुरातत्व महत्व के स्थल स्थित नहीं हैं।

कलेक्टर
जिला बीजापुर
जिला बीजापुर